न्यायालय–द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव (छ0ग0) **पीठासीन न्यायाधीश–दीपक के0 गुप्ता**
जमानत याचिका कं0–**816 / 2022**
आवेदकगण / आरोपीगण – 01. खुमान साहू उर्फ सोनू पिता राधेलाल साहू, उम्र–25 वर्ष, निवासी–नवागांव वार्ड नं0–06, थाना–सोमनी, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) 02. डोमेश निषाद उर्फ भूक्कू पिता भागवत राम निषाद, उम्र–22 वर्ष, निवासी–नवागांव बाजार चौक वार्ड नं0–08 थाना–सोमनी, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)
विरूद्ध
अनावेदक / राज्य–**छ.ग. शासन, द्वारा–थाना–सोमनी** **जिला– राजनांदगांव (छ0ग0)**
आवेदन पत्र अंतर्गत **धारा 439 दं0प्र0सं0** में पारित आदेश
आरक्षी केन्द्र–**सोमनी, जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)**
अपराध कमांक–**259 / 2022**
अंतर्गत धारा–**379, 411, 34 भा0दं0सं0**
जमातन आदेश दिनांक–**14 / 10 / 2022**

DEEPAK KUMAR GUPTA
Digitally signed by DEEPAK KUMAR GUPTA
Date: 2022.10.14 16:31:45 +0530

आवेदकगण / आरोपीगण **खुमान साहू उर्फ सोनू एवं डोमेश निषाद उर्फ भूक्कू** की ओर से अधिवक्ता **श्री व्ही0बी0 सिंह** उपस्थित।

अनावेदक / राज्य की ओर से **श्री कुंजलाल साहू** अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण केस डायरी, रिमांड प्रपत्र एवं जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

थाना–**सोमनी,** जिला–राजनांदगांव (छ0ग0) के **अपराध कमांक–259 / 2022 धारा 379, 411, 34 भा.दं.सं**. का केस डायरी मय जमानत विरोध प्रतिवेदन प्राप्त एवं विचारण न्यायालय से रिमाण्ड प्रपत्र प्राप्त।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया गया।

इस आदेश द्वारा आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से जमानत हेतु प्रस्तुत आवेदन, अंतर्गत **धारा–439 दण्ड प्रकिया संहिता** का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से जमानत आवेदन पेश कर यह निवेदन किया गया है कि उन्हें थाना–सोमनी, जिला–राजनांदगांव के अपराध क्रमांक–259/2022 धारा–379, 411, 34 भा.दं.सं. के अपराध में गिरफतार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। दिनांक–11.10.2022 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया है जिसकी आगामी रिमांड तिथि 21.10.2022 है।

आवेदकगण/आरोपीगण को प्रकरण में शंका के आधार पर लोहे को चोरी करने के अपराध में गिरफतार किया गया है। आवेदकगण/आरोपीगण आदतन अपराधी नहीं है। आवेदक क्रमांक–01 की पत्नी का देहांत हो गया है। आवेदक/आरोपी का डेढ़ वर्ष की पुत्री है उसे देखने वाला कोई नहीं है। छोटी बच्चे आवेदक/आरोपी के माध्यम से ही दूध पीती है। प्रकरण के निराकरण में काफी विलम्ब होगा, जमानत के शर्तो का पालन करने के लिये तैयार है। आवेदकगण/आरोपी नवागांव थाना–सोमनी, जिला राजनांदगांव के स्थायी निवासी है जिसके अन्यत्र फरार होने की कोई संभावना नहीं है।

आवेदकगण/आरोपीगण पूर्व दोषसिद्ध व्यक्ति नहीं है। आरोपित अपराध प्रथम अपराध है। आवेदकगण/आरोपीगण इतना प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है जो जमानत पश्चात अभियोजन साक्षी को प्रभावित कर सके। अन्य आरोपी को

दिनांक–09.10.2022 को जमानत का लाभ दिया जा चुका है। आवेदकगण/आरोपीगण पर आरोपित अपराध उक्त आरोपी से भिन्न नहीं है। आवेदकगण/आरोपीगण को प्रकरण के निराकरण तक जमानत पर रिहा होने का आदेश प्रदान किया जावे।

आवेदकगण/आरोपीगण द्वारा अपने उक्त जमानत आवेदन में यह स्पष्ट किया है कि आरोपी का यह **प्रथम** जमानत आवेदन पत्र है इसके अलावा किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय बिलासुपर में इस आशय का कोई आवेदन लंबित नहीं है और ना ही निराकृत हुआ है।

आवेदकगण/आरोपीगण के जमानत के इस आवेदन के उक्त तथ्यों के समर्थन में **आवेदक कमांक–01 के पिता राधेलाल साहू एवं आवेदक कमांक–02 के पिता भागवत राम निषाद** का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदक/राज्य की ओर से **श्री कुंजलाल साहू** अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए व्यक्त किया है कि चोरी के अपराध वर्तमान में काफी बढ़ रहे हैं। अतएव उक्त जमानत आवेदन निरस्त किया जावे।

विचारण न्यायालय से प्राप्त रिमांड प्रपत्र एवं थाना **सोमनी,** जिला–राजनांदगांव (छ0ग0) के **अपराध कमांक–259/2022 धारा–379, 411, 34 भा.दं.सं.** का केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि थाना–**सोमनी** के **अपराध कमांक–259/2022** में आवेदक/आरोपी के विरूद्व **धारा–379, 411, 34 भा0दं0सं0** का अपराध इस आशय का किया गया है कि प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि

दिनांक–07.10.2022 को क्रेशर परिसर में रखे सामान को चेक किया तो ऑक्सीजन गैस सिलेण्डर, गर्डर, चैनल, लोहे का प्लेट, जाब प्लेट इत्यादी समान जिसकी कीमत लगभग 1,50,000/– रूपये को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है।

आवेदकगण/आरोपीगण के विरूद्व आरोपित अपराध मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। आवेदकगण/आरोपीगण के विरूद्व पूर्व में किसी अपराध में संलग्नता अथवा अपराधिक प्रवृत्ति के होने के संबंध में कोई तथ्य अभियोजन की ओर से पेश दस्तावेजों से दर्शित नहीं है तथा आरोपीगण को **दिनांक–09.10.2022** को गिरफ्तार किया गया व उसी दिनांक से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्व है। उनके लगातार न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहने से उनके मानसिक स्थिति में प्रभाव पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

प्रकरण की उपरोक्त समस्त परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं आरोपीगण के न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से पेश जमानत आवेदन अंतर्गत **धारा–439 दण्ड प्रकिया संहिता** स्वीकार कर यह आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदकगण/आरोपीगण **खुमान साहू उर्फ सोनू एवं डोमेश निषाद उर्फ भूक्कू** की ओर से **पृथक–पृथक 20,000/– (अक्षरी बीस हजार रूपये)** के सक्षम जमानत एवं उतनी ही राशि का मुचलका निम्नलिखित शर्तो के साथ विचारण न्यायालय के संतुष्टि योग्य प्रस्तुत करें तो

आवेदकगण/आरोपीगण **खुमान साहू उर्फ सोनू एवं डोमेश निषाद उर्फ भूक्कू** को जमानत पर रिहा किया जावे।

1. वे अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगें।

2.न्यायालय में प्रत्येक पेशी तिथि को उपस्थित रहेगें।

3. अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगें।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी संबंधित थाना को वापस भेजी जावे एवं आदेश की प्रति के साथ रिमांड प्रपत्र संलग्न कर विचारण न्यायालय को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

प्रकरण समाप्त।

परिणाम पंजी में दर्ज कर यह प्रकरण अभिलेखागार प्रेषित की जावे।

सही/–

(दीपक के0 गुप्ता)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव
जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)